

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ।

दिनांक 12 सितम्बर, 2019

पत्रांक 2830 एमटी/19-147एमटी/1991-

- 1-समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ०प्र० परिवहन निगम।
- 2-समस्त सेवा प्रबन्धक,
उ०प्र० परिवहन निगम।
- 3- समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (डिपो),
उ०प्र० परिवहन निगम।

विषय:- परिवहन निगम की समस्त बसों में फिटनेस व प्रदूषण प्रमाण पत्र चरपा करने के सम्बन्ध में।

बसों की अच्छी भौतिक दशा तथा न्यूनतम प्रदूषण स्तर सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि बसों का बेहतर रख-रखाव किया जाये तथा निर्धारित समय पर बस का आर. आई. फिटनेस कराया जाये एवं प्रदूषण की नियमित जाँच करायी जाये।

उक्त हेतु निर्देशित किया जाता है कि निगम की समस्त बसों में सामने के शीशे के ऊपर बायीं (परिचालक साइड) ओर आर. आई. द्वारा प्रदत्त फिटनेस सर्टिफिकेट की छाया प्रति एवं प्रदूषण जाँच का स्टीकर चरपा किया जाये।

यह कार्यवाही 20.09.2019 तक अवश्य पूर्ण हो जानी है। इसके पश्चात् यदि निरीक्षण के दौरान किसी बस पर वैध प्रमाण पत्र चरपा न पाये जाने की स्थिति में पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

सभी अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही करेंगे तथा निर्देशों का समय से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन कर समस्त बसों में फिटनेस व प्रदूषण प्रमाण पत्र चरपा करने का प्रमाण-पत्र, दिनांक 21.09.2019 तक मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रावि०) को प्रेषित करेंगे।

(डा० राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि-

1. निजों सचिव, प्रबन्ध निदेशक / अपर प्रबन्ध निदेशक निगम मुख्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रावि०/संचा०), निगम मुख्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त, नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक